

उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन-तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या:- 23 /सूचना /21 /कम्प्यू०अनु०/2016/17-परीक्षा/2016

दिनांक : 25 अप्रैल , 2017


आवश्यक सूचना

आयोग के नोटिस संख्या: 16 / सूचना /21 /कम्प्यू०अनु०/2016/17-परीक्षा/2016 दिनांक: 06 मार्च, 2017 द्वारा प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) पद से संबन्धित समस्त अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकरण हो वे उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति एक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करते हुए दिनांक: 20 मार्च, 2017 तक आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

आयोग की उक्त सूचना के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में दायर विशेष अपील डिफ्रेक्टिव संख्या: 145/2017, प्रगति तथा 16 अन्य प्रति महेंद्र विक्रम सिंह में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक: 04.04.2017 के अनुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचीगण तथा संबन्धित उन समस्त आवेदकों जो मा० उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हैं, को निर्देशित किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को आवेदन करने तथा सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तो प्रतिवादी आयोग के संज्ञान में लाये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा तथा ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, जो सफल हुए हैं तथा आयोग के समक्ष उक्त पारित आदेश के एक माह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में समर्थ है, एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक: 14.02.2017 का अनुपालन आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश की सत्यापित प्रति सहित प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा पंजीकरण हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के समक्ष प्रस्तुत करने के तीन सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निस्तारित किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पंजीकरण का लाभ दिया जायेगा तथा अंतिम चयन के दौरान लाभ प्राप्त करने हेतु समर्थ होंगे। आवेदक एवं अन्य समान अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हैं तथा अन्यथा उपयुक्त हैं, प्रश्रुत शासनादेश एवं संगत नियमों के अन्तर्गत विचार किये जाने हेतु पात्र/योग्य हैं।

अतः मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन करते हुए वांछित पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक: 24 मई, 2017 की सायं 05:00 बजे तक "सचिव, उ०प्र०अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन-तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ-226010" के पते पर डाक द्वारा स्पीडपोस्ट से या आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।